

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प.19(2)साप्र/2/2025

जयपुर, दिनांक : 22.05.2025

—: आदेश :—

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी 'एच' श्रेणी में वरियता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नांकित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किये जाते हैं:-

क्र. सं.	वरियता क्रमांक	नाम एवं पदनाम आवंटि	सेवानिवृत्ति तिथि	आवंटित राजकीय आवास
1.	42/2016	श्री भौरीलाल मीणा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर	31.12.2036	एच-502, गांधीनगर
2.	43/2016	श्रीमती संतोष कंवर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय पुस्तकालाध्यक्ष राजकीय महाराजा सवाई मानसिंह पुस्तकालय जयपुर	31.03.2033	एच-504, गांधीनगर
3.	44/2016	श्री रामावतार शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर जयपुर	30.09.2044	एच-508, गांधीनगर
4.	45/2016	श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय उप सचिव प्रशासन राजस्थान विधानसभा जयपुर	31.05.2050	एच-524, गांधीनगर
5.	46/2016	श्री जगदीश प्रसाद, वाहन चालक, कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग मुख्यालय जयपुर	31.05.2029	एच-534, गांधीनगर
6.	47/2016	श्रीमती आशा रैगर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय उप सचिव प्रशासन राजस्थान विधानसभा जयपुर	31.10.2044	एच-553, गांधीनगर
7.	48/2016	श्री भुवन चन्द सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्रम-2 जयपुर महानगर जयपुर	31.05.2040	एच-562, गांधीनगर
8.	49/2016	श्रीमती हंसा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर	31.07.2042	एच-568, गांधीनगर
9.	50/2016	श्री मूल सिंह, सहायक कर्मचारी, गृह रक्षा विभाग राजस्थान जयपुर	31.10.2049	एच-577, गांधीनगर
10.	51/2016	सुश्री राजकुमारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी,	28.02.2036	एच-578,



		चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर		गांधीनगर
11.	52/2016	श्री अमित कुमार यादव, प्रोसेस सर्वर, लोकायुक्त सचिवालय राजस्थान जयपुर	31.10.2054	एच-579, गांधीनगर
12.	53/2016	श्री राजेश गुर्जर, प्रोसेस सर्वर, लोकायुक्त सचिवालय राजस्थान जयपुर	31.05.2045	एच-582, गांधीनगर
13.	54/2016	श्री कैलाश चन्द्र कुमहार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर	31.07.2031	एच-586, गांधीनगर
14.	57/2016	श्रीमती राजू, स्वीपर, सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	31.10.2036	एच-589, गांधीनगर
15.	58/2016	श्री अनिल कुमार शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, न्याय विभाग जयपुर	30.04.2044	एच-592, गांधीनगर
16.	59/2016	श्री खामीराम पटेल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, न्याय विभाग जयपुर	31.07.2036	एच-597, गांधीनगर
17.	1/2017	श्री कैलाश सिंह तडागी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।	31.08.2043	एच-651, गांधीनगर
18.	3/2017	श्री महेन्द्र कुमार स्वामी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, संकुल शिक्षा विभाग जयपुर।	31.07.2030	एच-653, गांधीनगर
19.	4/2017	श्री मुकेश कुमार सैन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अपर जिला सेशन न्यायाधीश जयपुर।	30.09.2042	एच-654, गांधीनगर
20.	5/2017	श्रीमती ललिता देवी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर जयपुर।	30.11.2035	एच-656, गांधीनगर
21.	6/2017	श्री पवन कुमार सोनी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ए.डी.जे. 15 अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपुर।	31.07.2045	एच-659, गांधीनगर
22.	7/2017	श्री प्रहलाद चन्द्र मीना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग जयपुर।	31.05.2036	एच-855, गांधीनगर
23.	9/2017	श्रीमती शान्ती देवी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कलेक्ट्रेट, जयपुर।	31.01.2044	एच-865, गांधीनगर

24.	12 / 2017	श्री राजेश सैन, सहायक कर्मचारी, निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर	30.09.2041	एच-892, गांधीनगर
25.	16 / 2017	सुश्री मीनू कंवर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर	30.06.2049	एच-897, गांधीनगर
26.	19 / 2017	श्री चन्द्र सिंह शेखावत, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्या न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, कम-20, जयपुर	30.04.2045	एच-902, गांधीनगर
27.	20 / 2017	श्री पप्पू राम, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सैनिक कल्याण विभाग, जयपुर	31.01.2054	एच-903, गांधीनगर
28.	21 / 2017	श्री लोकेश कुमार मौर्य, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्याय विभाग जयपुर	28.02.2046	एच-907, गांधीनगर
29.	25 / 2017	श्री कानाराम मीणा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर	31.07.2042	एच-911, गांधीनगर
30.	32 / 2017	श्री माधव तिवाड़ी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान विधान सभा जयपुर	30.11.2041	6/6, गांधीनगर

शर्तें :-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 कार्य दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने / कर करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूँकि उक्त कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।

7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क़य नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मन मोहन गौड़)

वरिष्ठ उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. उप सचिव, राजस्थान विधानसभा/ लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ/ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ गृह रक्षा मुख्यालय/ राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/ न्याय विभाग/ सैनिक कल्याण विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
4. अति. मुख्य अभियंता/अधिशाषी अभियंता/सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग/ सावर्जनिक निर्माण विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
5. प्रभारी अधिकारी(संस्थापन), जिला एवं सेशन न्यायालय/ अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-20/ न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्रम-2/ ए.डी.जे क्रम 15 अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
6. उपायुक्त, कॉलेज शिक्षा/ उद्योग विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
7. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, संकुल शिक्षा विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
9. प्राचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधीनगर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।

10. पुस्कालाध्यक्ष, राजकीय महाराजा सवाई मानसिंह पुस्तकालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
11. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
12. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
13. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
14. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
15. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
16. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
17. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लैकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
18. संबंधित कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्मिलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
19. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
20. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ उप शासन सचिव